प्रेस विज्ञप्ति

17.05.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत विंध्यवासिनी समूह की कंपनियों के बैंक धोखाधड़ी मामले में कंपनी के प्रमोटरों विजय राजेंद्रप्रसाद गुप्ता, अजय आर राजेंद्रप्रसाद गुप्ता और उनके सहयोगियों की **81.88 करोड़ रुपये (लगभग)** की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई, ईओडब्ल्यू, मुंबई द्वारा आईपीसी, 1860 और पीसी अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इस मामले में की गई सीबीआई जांच से पता चला कि आरोपी विजय राजेंद्रप्रसाद गुप्ता और अजय राजेंद्रप्रसाद गुप्ता ने बैंक अधिकारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऋण सलाहकार और अन्य सह-षड्यंत्रकारियों के साथ मिलीभगत करके, जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के बल पर, एसबीआई से उक्त समूह की विभिन्न कंपनियों के नाम पर विभिन्न ऋण और क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त कीं और उनका डायवर्जन करने के बाद, इसका उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ और अन्य उद्देश्यों के लिए किया, जिससे एसबीआई को 764.44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

ईडी की जांच से पता चला है कि विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटरों ने एसबीआई को धोखा दिया और उनके द्वारा स्थापित **50 से अधिक फर्जी संस्थाओं** के माध्यम से ऋण आय के रूप में अपराध की आय (पीओसी) को रूट किया और गबन किया और यहां तक कि **42 करोड़ रुपये** से अधिक की नकदी भी निकाल ली। उन्होंने ऋण आय का उपयोग अपने नाम पर, अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर और यहां तक कि बेनामी संपत्तियां भी हासिल करने के लिए किया। जांच के दौरान, इस समूह की कंपनियों के मुख्य प्रमोटर विजय आर गुप्ता को 26.03.2025 को पीएमएलए 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।